न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – गौरव अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
007/2020(रा.अ.) (GCMS 2020/00216)	25.06.2020	08.11.2023

अनवान

जगन्नाथ पिता तारा सरगरा जाति सरगरा निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ **मृतक के बजाय** :–

1/1 मु0 प्यारी पत्नी जगनाथ सरगरा जाति सरगरा उम्र वयस्क निवासी औछडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

अपीलार्थी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

2 सचिव, नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़।

प्रत्यर्थीगण

उपस्थिति :–		
	दीपक शर्मा	अपीलार्थी
	भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	प्रत्यर्थी संख्या 1
	खुमराज कुमावत	प्रत्यर्थी संख्या 2

अपील रेवेन्यू अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़ संबंधित नामान्तरकरण संख्या 127 ग्राम पंचायत औछडी तारीख फैसल दिनांक 29.05.1991

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध प्रत्यर्थीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम औछडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित आराजी नम्बर 9 रकबा 0.86 हैक्टेयर हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जो अपीलांट के गैर खातेदारी में दर्ज थी उसका नामान्तरण स्वविवेक से तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़ ने दिनांक 29.05.1991 को उक्त आराजीयात को बिलानाम काबिल काश्त में अंकन करने का आदेश दिया उस नामान्तकरण के आदेश के विरूद्ध यह अपील आवश्यक कोर्ट फिस पर मय तलवाना के प्रस्तुत है।अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित उक्त आदेश न्याय, नियम एवं वाकियाती तथ्यों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार साहब ने नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व कोई जांच पड़ताल नहीं की, किसी को सूचित नहीं किया एवं मुझ अपीलांट को बिना नोटिस जारी किये अपीलांट की आराजीयात को बिलानाम दर्ज करने का जो आदेश दिया वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जाने योग्य है। अधीनस्थ तहसीलदार को अपीलाधीन नामान्ताकरण पारित करने का भी अधिकार नहीं था चूंकि प्रथम अधिकार ग्राम पंचायत को था। उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत में पेश नहीं हुआ सीधा ही तहसीलदार ने प्रमाणित कर दिया जिससे तहसीलदार का आदेश दिनांक 29.05.1991 क्षेत्राधिकार विहिन होने से निरस्त होने योग्य है। विवादित आराजीयात पर आज तक अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा। इस तथ्य की भी कोई जांच नहीं की गई जो जरूरी थी इस कारण भी उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश न्याय के नैसृगिक सिद्धांतों के विपरित होने से निरस्त होने योग्य है। मियाद बाबत आवेदन मय शपथ-पत्र अलग से पेश है। अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको होने से अपील न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश है। अंत में प्रार्थना की गई अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जाकर ग्राम औछडी की आराजी नंबर 9 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि पुनः अपीलांट के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

इस पर अपील अपीलार्थी् दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 18.08.2020 को पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 19.07.2021 को प्रकरण में विधिक वारिसान की जांच हेतु आदेश दिये गये। इस पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/भू.अ. /2021/233 दिनांक 10.02.2021 से मृतक जगन्नाथ पिता तारा सरगरा के विधिक वारिसान की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 31.08.2021 को अधिवक्ता अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश की जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं। प्रकरण में भूमिधारक तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को तलब किया गया। इस पर दिनांक 14.09.2021 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में दस्तावेज पेश किये गये जो कि शामिल पत्रावली हैं। दिनांक 05.10.2021 को न्यायालय आदेश से सचिव नगर विकास न्यास चित्तौड़गढ़ को प्रकरण में पक्षकार संख्या 02 के रूप में संयोजित किया गया। दिनांक 02.11.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 02 की और से उनके अधिवक्ता हाजिर आये एवं अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 23.11.2021 को प्रत्यर्थी संख्या 02 ने जवाब प्रार्थना-पत्र बाबत् मियाद अधिनियम पेश किया जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। दिनांक 05.01.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 02 की और से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को स्वीकार किया गया। प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस के निवेदन किया गया है।

हस्तगत अपील बेरून मियाद पेश होने से सर्वप्रथम अपील अपीलार्थी में मियाद के बिन्दु का निर्धारण आवश्यक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

होने से दिनांक 31.10.2023 को उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम पर सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अपीलार्थीया ग्राम परिवेश का होने के कारण उसे अधीनस्थ तहसीलदार साहब चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.05.1991 की जानकारी पूर्व में नहीं थी क्योकि न्यायालय द्वारा पूर्व में कोई सूचना नहीं दी गई थी उक्त आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2020 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर आए तथा प्रार्थीया/अपीलांट को ग्राम औछडी की आराजी संख्या 09 रकबा 0.86 हैक्टेयर कृषि भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम होने की जानकारी देकर कब्जा छोड़ने की बात कहने पर प्रार्थीया ने 24.02.2020 को नकल हेतु आवेदन पेश किया जो नकल दिनांक 27.02.2020 को प्राप्त होने पर हुई। इस पर प्रार्थीया ने अपने अधिवक्ता से मिल कर अपील तैयार करवा बिना किसी देरी के जानकारी दिनांक से अंदर मियाद पेश है।

इस पर विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि मौजा ग्राम औछड़ी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या 9 रकबा 0.86 हैक्टेयर भूमि गैर खातेदारी का नामांतरकरण तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 29.05.1991 को बिलानाम किया गया जिसकी अपील अपीलांट द्वारा दिनांक 02.03.2020 को की गई जो 31 वर्ष बाद भारी काल बाधित मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है एवं मियाद बिंदु पर कोई भी संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया है। केवल मात्र यह लिख देना कि दिनांक 20.02.2020 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के अधीनस्थ कर्मचारी मौके पर आए थे और कब्जा छोड़ने की बात कही। यह कोई जानकारी का विधि सम्मत एवं ठोस आधार नहीं है। दिनांक 20.02.2020 को कौन कर्मचारी आए किसके कहने से आए एवं अपीलांट जाटों का खेड़ा पटवार हल्का पडेण्डा तहसील बड़ीसादड़ी में होना बताया तो फिर दिनांक 20.02.2020 को औछड़ी होना कैसे संभव है। इससे यह साबित होता है कि अपीलांट दिनांक 20.02.2020 को औछड़ी मौके पर थे ही नहीं और ना ही तहसील से कोई कर्मचारी आयां गलत प्रार्थना–पत्र दफा 05 का सिर्फ अपील को मियाद में लेने हेतु बनाया इसलिए मियाद का बिंदू भारी काल बाधित होने व संतोषप्रद कारण नहीं होने से अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दू पर ही अपील खारिज फरमाई जावे। मियाद का बिन्दु जो अंकित किया है वह क्षम्य किए जाने योग्य संतोषप्रद कारण नहीं है, इसलिए प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीया/अपीलांट द्वारा आवेदन देरी से पेश किया है और कोई संतोषप्रद युक्ति युक्त कारण नहीं है। विवादित भूमि पर न तो प्रार्थीया का कब्जा रहा है ना ही प्रार्थीया का निवास रहा है और ना ही विवादित जमीन पर काश्त की हुई है। गैर–खातेदारी में अंकित रही है जो वर्तमान में बिलानाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आबादी में दर्ज है। इस आधार पर भी प्रार्थना–पत्र संतोषप्रद कारण नहीं होने से खारीज फरमाया जावें। अतः प्रार्थना है कि अपीलांट/प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र 31 वर्ष बाद भारी काल बाधित होकर असाम्यक मियाद बाहर है एवं कोई संतोषप्रद व युक्ति–युक्त कारण प्रार्थना–पत्र में अंकित नहीं है, मियाद के बिन्दु पर संतोषप्रद कारण साबित कराने पर ही बाद सुनवाई अपील पर सुनवाई होती है, परन्तु दफा 5 का प्रार्थना–पत्र पूर्णतया असत्य बनावटी व निराधार होने से खारीज फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRT** 2021 (1) पेज संख्या 385, **RRT** 2021 (2) पेज संख्या 1250, **DNJ Raj 1998** पेज संख्या 767, **RRT** 2021 (1) पेज संख्या 336, **RRT** 2011 (1) पेज संख्या 614 एवं **RRT** 2007 (2) पेज संख्या 939 का अवलोकन कराया। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 02 ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस प्रार्थना–पत्र में मियाद के बिन्दु का पुरजोर समर्थन करते निवेदन किया गया हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 29.05.1991 के विरूद्ध लगभग 29 वर्षो की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद प्रस्तुत की गई है, एवं इतनी दीर्घ अवधि से अपील प्रस्तुत किये जाने बाबत् अपीलार्थीया द्वारा कोई ठोस यथोचित कारण प्रस्तुत नहीं किये गये है। केवल मात्र दिनांक 20.02.2020 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा जानकारी देने का तथ्य अंकित किया गया है। इस संबंध में किसी भी प्रकार से कोई तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जारी नोटिस अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है एवं 29 वर्षीय दीर्घ अवधि क्षम्य हेतु किसी भी प्रकार से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर खारीज फरमाई जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना–पत्र समाप्त की।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने बताया की माननीय शीर्ष न्यायालयों ने भी दफा 05 कानून मियाद प्रार्थना पत्र पर उदारता का रूख अपनाते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा है, एवं निर्णय दिनांक 29.05.1991 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.02.2020 को हुई है। प्रार्थीया अपीलांट ने आवेदन पेश करने में कोई जानबुझ कर देरी नहीं की है। जो देरी हुई उसका कारण युक्तियुक्त रहा है एवं इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम, 1963 के साथ स्वयं का सच्चा शपथ–पत्र पेश किया गया है, अतः प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कण्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **RRD**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1996 पेज संख्या 16, **RRD** 1994 पेज संख्या 604 का अवलोकन कराया। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना-पत्र समाप्त की।

हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना-पत्र का चिंतन-मनन किया। प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का अवलोकन किया। प्रार्थना-पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत अपीलार्थी के शपथ-पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय मियाद प्रार्थना-पत्र हेतु रिजर्व किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। हमने उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से मार्गदर्शन प्राप्त किया। हस्तगत प्रकरण में अपील अपीलार्थीया द्वारा नामान्तरकरण संख्या 127 दिनांक 29.05.1991 के विरूद्ध लगभग 29 वर्षो के विलम्ब से इस न्यायालय में दिनांक 02.03.2020 को अपील प्रस्तुत की गई है। 29 वर्षीय विलम्ब के संबंध में अपीलार्थी द्वारा आराजीयात जैरबहस का बिलानाम होने की जानकारी दिनांक 20.02.2020 को होना अपने मियाद प्रार्थना-पत्र में अवगत कराया गया है। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 02 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम में अवगत कराया गया है कि प्रार्थीया/अपीलार्थीया ग्राम जाटों का खेड़ा पटवार हल्का पडेण्डा तहसील बड़ीसादड़ी में निवासरत है। इसके साथ ही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा यह तथ्य भी अवगत कराया गया है कि आराजीयात जैरबहस पर अपीलार्थीया किसी भी प्रकार से कोई कब्जा-काश्त नहीं है। क्यूकि अपीलार्थीया मौजा औछडी में निवासरत नहीं है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई प्रत्युत्तर अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार चित्तौड़गढ़ प्रेषित विधिक वारिसान की जांच रिपोर्ट से यह तथ्य प्रमाणित पाया जाता है कि प्रार्थीया/अपीलार्थीया ग्राम जाटों का खेडा पटवार हल्का पण्डेडा तहसील बडीसादडी में विगत कई वर्षों से निवासरत है एवं मृतक जगन्नाथ पिता तारा सरगरा के अपीलार्थीया ही एक मात्र विधिक वारिसान है। अपीलार्थीया के अलावा मृतक के और कोई विधिक वारिस नहीं है। इससे प्रार्थीया को जानकारी दिनांक 20.02.2020 को होना संदेहास्पद प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थीया के प्रार्थना-पत्र मियाद अधिनियम को किसी भी प्रकार से बल प्रदान नहीं करते है जबकि विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी की और से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा इस आशय का मूलभूत सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र में पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, मियाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मात्र

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

औपचारिक प्रार्थना–पत्र नहीं होता है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीया ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपील के साथ केवल मात्र औपचारिकता के रूप में प्रस्तुत कर लगभग 29 वर्षीय दीर्घ कालीन देरी बाबत् पर्याप्त एवं सद्भावी कारणों का उल्लेख भी नहीं किया गया है उक्त परिपेक्ष्य में अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र में विलम्ब के संबंध में अंकित आधार संतोषजनक एवं पर्याप्त नहीं होने से अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम बलहीन होकर सारहीन होना प्रमाणित पाया जाता हैं, जिससे प्रार्थीया/अपीलार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थना–पत्र बाबत् मियाद अधिनियम के खारीज होने अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर पोषणीय नहीं पाये जाने अपील अपीलार्थीया मियाद के बिन्दु पर खारीज की जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा औछडी पटवार हल्का औछडी तहसील चित्तौड़गढ़ के नामान्तरकरण संख्या 127 निर्णय दिनांक 29.05.1991 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सूचनार्थ भिवजाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक <u>08.11.2023</u> को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official